

# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 30/2022 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये देवेन्द्र सिंह राणावत  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
भीलवाड़ा

बनाम 1. पवन भण्डारी पुत्र प्रहलाद राय भण्डारी मैसर्स  
पवन ट्रेडर्स, बस स्टैण्ड रोड, सदर बाजार,  
माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थी

—विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)  
एवं दण्डनीय धारा 51 व 52

उपस्थित—

- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय परोकार उपस्थित
- 2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 08.09.2022

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है, कि विपक्षी पवन भण्डारी पुत्र प्रहलाद राय भण्डारी मैसर्स पवन ट्रेडर्स, बस स्टैण्ड रोड, सदर बाजार, माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को उपयोग हेतु मुंगफली तेल (Prateek Brand) इत्यादि का विक्रय कर रहा था। पवन भण्डारी पुत्र प्रहलाद राय भण्डारी मैसर्स पवन ट्रेडर्स, बस स्टैण्ड रोड, सदर बाजार, माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ का विक्रेता एवं गवाह की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत् मुंगफली तेल (Prateek Brand) के 15-15 किलो के सील्ड टिन मुंगफली तेल रखा हुआ था। मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की। न्याय निर्णयन आवेदन पेश

*Luks*

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाड़ा (राज.)

07.07.2022 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी स्वयं उपस्थित।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर की जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि मुंगफली तेल (Prateek Brand) नमूना एक्स-1165 में Batch No. - Absent. Contravention of Regulation No. 2.2.2(8) of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011. Test for Vitamin A - Negative पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत यह Positive होना चाहिये था। इस प्रकार विपक्षी द्वारा **Food Safety and standards (packaging & labelling) Regulation, 2011** का उल्लंघन कर सब स्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड मुंगफली तेल (Prateek Brand) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51, व 52 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है।

विपक्षी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विपक्षी छोटा किराणा व्यापारी हैं। नमूना फेल हो गया है, जिसे आगे ध्यान रखकर व्यापार करूंगा। पहली गलती मानकर माफ करें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S./96/FSSA/2022/22 दिनांक 21.01.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. एक्स -1165 मुंगफली तेल (Prateek Brand) सब स्टैण्डर्ड व मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर की जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि मुंगफली तेल (Prateek Brand) नमूना एक्स-1165 में Batch No. - Absent. Contravention of Regulation No. 2.2.2(8) of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011. Test for Vitamin A - Negative पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत यह Positive होना चाहिये था। इस प्रकार विपक्षी द्वारा Food Safety and standards (packaging & labelling) Regulation, 2011 का उल्लंघन कर सब स्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड मुंगफली तेल (Prateek Brand) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51, व 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड मुंगफली तेल (Prateek Brand) का निर्माण एवं विक्रय किया गया है, जो कि खाद्य मानक अधिनियम 2006




*[Signature]*  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
मौजवाड़ा (राज.)

की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियम 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत विपक्षी पर 50,000/-रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक से 03 माह के अन्दर शास्ति जरिये चालान जमा करा चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करावें।


निर्णय आज दिनांक 08.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि निर्णयानुसार विपक्षी से शास्ति राशि निर्धारित बजट हैड में जमा कराये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
- 2 श्री पवन भण्डारी पुत्र प्रहलाद राय भण्डारी मैसर्स पवन ट्रेडर्स, बस स्टैण्ड रोड, सदर बाजार, माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।



  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाडा (राज.)